



2026:AHC:17503

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44960/2025

गौरव मिश्र

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आशीष कुमार पाण्डेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आशीष कुमार पाण्डेय और राज्य-विपक्षी की ओर से विद्वान एजीए-1 श्री एस. के. राय को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया ।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक गौरव मिश्र की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 230/2025, धारा 318 (4), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, थाना साइबर क्राइम, जिला गाजियाबाद में पंजीकृत प्रकरण में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर अवमुक्त करने की प्रार्थना के साथ योजित किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है। उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है और वह दिनांक 31.10.2025 से जेल में निरुद्ध है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल अनुमान के आधार पर पंजीकृत की गई है। प्रथम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि अपराध अभी किया जाना शेष है, परंतु आवेदक द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। 20,000/- रुपये की बरामदगी आवेदक की अपनी संपत्ति है। मामले में दिनांक 22.12.2025 को आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और उस पर 24.12.2025 को संज्ञान लिया जा चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसके न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत हेतु प्रार्थना की गई है।

विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है।

समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए, तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि जमानत हेतु यह उपयुक्त मामला है।

तदनुसार, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

आवेदक **गौरव मिश्र** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए –

- (1) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (2) आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
- (3) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों पर कोई दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
- (4) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसे अधिवक्ता के माध्यम से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न प्राप्त हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय आवेदक की जमानत निरस्त करने हेतु अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

27 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।